



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce and Industry
Government of India)
Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन. एच. बाइपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोचिन - 682 025, भारत

विपणन-नीलाम/0021/2015(भाग-1)

17-03-2020

परिपत्र

विषय: इलायची कृषकों को भुगतान

यह बोर्ड के ध्यान में आया है कि कुछ नीलामकर्ता कृषकों को नीलाम के 10 दिनों बाद भुगतान कर रहे हैं।

इस सिलसिले में, लाइसेन्स प्राप्त नीलामकर्ताओं को एतदद्वारा, इलायची अनुज्ञप्तीकरण व विपणन नियम 1987 तथा अनुवर्ती संशोधनों में निर्धारित निम्नलिखित भुगतान शर्तों का पालन करने का निदेश दिया जाता है:

“ नीलामकर्ता उगानेवालों को जिनकी इलायची को पूलित किया गया है नीलामी की तारीख से दस दिन के भीतर किसी नीलामी में बिक्री की गई इलायची का लागू विक्रय मूल्य का संदाय करेगा और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बोर्ड के समाधानप्रद रूप में बिना किसी कारण के उगानेवालों के बकाया का भुगतान अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन होगा। “

निदेशक(विपणन)

सेवा में,

लाइसेन्स प्राप्त सभी नीलामकर्ता

प्रति लिपि: उप निदेशक (पुट्टड़ी)/ उप निदेशक - बोडिनायकन्नूर
उप निदेशक (ईडीपी) (वेबसाइट में होस्ट करने हेतु)